



## कार्यालय :- नगर पंचायत, लातेहार



### बन्दोबस्ती आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत, लातेहार क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित सैरातों की बन्दोबस्ती वर्ष 2018-2019 (01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक) के लिये खुली डाक बोली द्वारा दिनांक- 14.03.2018 को 11.30 बजे पूर्वाह्न नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय प्रकोष्ठ में की जायेगी। उस दिन बन्दोबस्ती नहीं होने की स्थिति में दिनांक 15.03.2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न खुली डाक द्वारा बन्दोबस्ती की जायेगी।

क्र० सं०	सैरात का नाम	पूर्व की बंदोबस्ती राशि	वर्ष 2018-2019 की न्यूनतम डाक की राशि	जमानत की राशि सुरक्षित जमा राशि का 10%	आवेदन फार्म शुल्क
01	बस स्टैण्ड लातेहार	699000.00	768900.00	76890.00	500.00
02	गुरुवार सप्ताहीक बाजार डुरुआ	31000.00	34100.00	3500.00	500.00
03	बानपुर सप्ताहीक मंगलवार बाजार लातेहार	1116000.00	1227600.00	122800.00	500.00
04	टेम्पु स्टैण्ड लातेहार रेलवे स्टेशन डुरुआ	20000.00	22000.00	2200.00	500.00

#### डाक की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

1. डाक समाप्ति के पश्चात् सर्वोच्च डाक बोलने वाले व्यक्ति को तत्काल डाक की पूर्ण राशि का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर चेक जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार के नाम से देय हो डाक के उपरान्त 3 दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। डाक की राशि जमा करने के उपरान्त ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
2. वे व्यक्ति डाक में भाग नहीं ले सकते हैं जिनके पारा नगर पंचायत, लातेहार का किसी प्रकार का बकाया हो।
3. डाक बोलने से पूर्व जमानत की राशि का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर चेक के द्वारा जो कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, लातेहार के नाम से देय हो जमा करना अनिवार्य होगा, तदोपरांत ही डाक में भाग लेने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। प्रथम एवं द्वितीय उच्चतम बोली बोलने वाले के अतिरिक्त अन्य की जमानत राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जायेगी।
4. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को अंचल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साइज का दो फोटो जमा करना अनिवार्य होगा।
5. नगर पंचायत द्वारा निर्धारित सुरक्षित जमा राशि से कम बोली बोलने वाले की डाक रद्द या स्थगित करने का अधिकार नगर पंचायत, लातेहार को सुरक्षित रहेगा तथा किसी भी परिस्थिति में पूर्व वर्ष 2017-2018 की डाक की राशि से कम में डाक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. उपरोक्त सैरातों से संबंधित विशेष जानकारी नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय में कार्य दिवस अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।
7. उपरोक्त सैरात में भाग लेने वाले आवेदकों को संबंधित सैरात हेतु 500 रुपये समिति कार्यालय में नगद जमा कर संबंधित सैरात का आवेदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तदोपरांत ही उपरोक्त सैरात में भाग लेने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। जिसे नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय में कार्यदिवस अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।


नोट 1 छद्म नाम से डाक बोलने वाले तथा भ्रम, अशान्ति पैदा करने वाले पर कड़ी कानूनी कारवाई की जायेगी।

2. कार्यालय अवधि में कार्यालय सूचना पट्ट/कार्यालय से सम्पर्क कर इस कार्य हेतु लागू किये गये नियम एवं शर्तों को देखा जा सकता है या लातेहार जिला के वेबसाईड [www.latehar.nic.in](http://www.latehar.nic.in) पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है।

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, लातेहार।

ज्ञापांक 339 / दिनांक 27-2-2018

- प्रतिलिपि :- वर्ष 2017-2018 के संबंधित ठेकेदार को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- डी.आई.ओ. एन.आई.सी., लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त आम सूचना को एन.आई.सी. के वेबसाईड पर अपलोड करने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगर पंचायत, लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अंचलाधिकारी लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी/अपर समाहर्ता लातेहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उपायुक्त, लातेहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार राँची का सादर सूचनार्थ समर्पित।



कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, लातेहार।

01.00000	01.00000	01.00000	01.00000
01.00000	01.00000	01.00000	01.00000
01.00000	01.00000	01.00000	01.00000
01.00000	01.00000	01.00000	01.00000